



आदेश

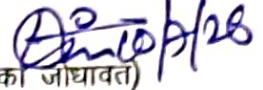
निम्नांकित मंत्रालयिक संवर्ग कर्मचारी का स्थानान्तरण कॉलेज संख्या 04 में अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा किया जाता है -

sn o	EMP NAME / EMP ID/SUBJECT	CURRENT POSTING PLACE	ON SUBJECT & APPROVED POSTING PLACE	REMAR K
1	2	3	4	5
1	BHOLA RAM SAINI RJSK198933001141 Additional Administrative Officer	Directorate Sanskrit Education Rajasthan	GOVT. ACHARYA SANSKRIT COLLEGE CHAK Sikar SIKAR	
2	AJAY KUMAR RJCT202011018557 Senior Assistant	GOVT. VARISHTHA UPADHYAY SANSKRIT SCHOOL LUDI JHABAR (215227) UNDER TRANSFER GOVT. VARISHTHA UPADHYAY SANSKRIT SCHOOL SABUANA (211165)	GOVT. VARISHTHA UPADHYAY SANSKRIT SCHOOL MEERA MARG MANASAROVAR (225981) JAIPUR	

उक्त स्थानान्तरण आदेशों की पालना निम्नांकित शर्तों के अनुसार की जानी सुनिश्चित करावे :-

1. उक्त स्थानान्तरण आदेशों में परिवीक्षाधीन कर्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
2. स्वेच्छा/स्वयं के प्रार्थना पत्र से स्थानान्तरित हुए कर्मिक से कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र लिया जाना है कि मेरा स्थानान्तरण स्वेच्छा/स्वयं के प्रार्थना पत्र से हुआ है, और मैं इस हेतु नियमानुसार योगकाल व यात्रा भत्ते की मांग नहीं करूंगा।
3. TSP क्षेत्र से NTSP क्षेत्र में एवं NTSP से TSP क्षेत्र में स्थानान्तरण होने पर कर्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
4. माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर्मिक/लम्बे समय से अनुपस्थित कर्मिक/वर्तमान में अध्ययन अवकाश पर चल रहे कर्मिक/निलम्बित कर्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं नहीं करवाया जाकर इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
5. स्थानान्तरित कर्मिक को शालादर्पण के माध्यम से ही आदेश जारी होने की दिनांक से 10 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावे।

6. सूची में यदि ऐसे कार्मिक हैं जिनकी सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति / सेवा समाप्ति हो चुकी है, उनके संबंध में उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा। उक्त कार्मिकों के संबंध में अविलम्ब इस कार्यालय को अवगत करवाएं।

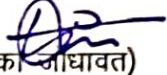

(प्रियंका जोधावत)

आयुक्त
संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान

क्रमांक - निसंशि/संस्था 5/स्थानांतरण-16014/2026/406-413 दिनांक - 10/7/2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही /पालनार्थ प्रेषित है :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, शिक्षा (विद्यालयी / संस्कृत) विभाग।
- 2 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 3 उप शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 4 समस्त संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान।
- 5 संबंधित संस्था प्रधान।
- 6 संबंधित कार्मिक।
- 7 अनुभाग अधिकारी शाला दर्पण, निदेशालय, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
- 8 रक्षित पत्रावली।


(प्रियंका जोधावत)

आयुक्त
संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान